न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **06/2015** आवंटन निरस्ती

श्री कन्हैयालाल पिता नाथू गुर्जर, निवासी बलीचा बाई पास चौराहा, हाल काया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री दिलीप पिता श्री प्रभुलाल खटीक निवासी बलीचा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः 1. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 11.12.2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा काया तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 3500 रकबा 0.7400 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 श्री दिलीप पिता प्रभुलाल खटीक निवासी बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर को दिनांक 01.06.2002 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटीत की गई। जिससे प्रार्थी द्वारा क्षुब्ध होकर यह प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपने प्रकरण संख्या 19/2008 प्रार्थना पत्र (आ.नि.) निर्णय दिनांक 28.11.2011 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा काया की आराजी संख्या 3500 रकबा 0.7400 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 श्री दिलीप पिता प्रभुलाल खटीक निवासी बलीचा

को दिनांक 01.06.2002/02.08.2003 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

जिससे विपक्षी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2011 से रूष्ट होकर न्यायालय राजस्व अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 16/2012 उदयपुर ऑर्डर निर्णय दिनांक 15.09.15 से यह आदेश प्रदान किया गया कि भूमि का आवंटन दिनांक 02.08.03 को ही अपीलान्ट/विपक्षी के पक्ष में किया गया हैं एवं इस आवंटन पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर है एवं यह आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया हैं जिससे अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः इन निर्देशो के साथ में प्रतिप्रेषित किया गया कि वह अपीलान्ट को सूनकर अजसरेनो निर्णय पारित करें।

पत्रावली बाद रिमाण्ड न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षकारानो को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा दो बार सूचना पत्र से तलब किया गया। बावजुद तामिल के प्रार्थी अनुपस्थित रहा। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 15.09.15 में पक्षकारानो को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27.11.15 को उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया जिसके बावजुद भी प्रार्थी अनुपस्थित रहा। इस कारण प्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 13. 11.17 को किये गये। उपस्थित विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा पूर्व में दिये गये जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी को भूमि का आवंटन विधिवत आवंटन कमेटी की सहमति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया। जिसमें कोई धोखाधड़ी अनियमितता या दुर्व्यदेशन नहीं हुआ। जबकि नियम 14(4) में उक्त तीनो कारणो का होना आवश्यक हैं। दिनांक 01.06.2002 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु भूमि गैर काबिल किस्म होने से आवंटन पेण्डिंग रखा गया। राज्य सरकार से किस्म की स्वीकृति प्राप्त होने पर दिनांक 02.08.03 को आवंटन किया गया। प्रार्थी इस भूमि को क्रय करना चाहता था। परन्तु विपक्षी द्वारा मना किये जाने पर विपक्षी को जलील व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी अनुसूचित जनजाती की श्रेणी में आता हैं। मात्र न्यायालय को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया है जबकि प्रार्थी का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं

हैं। द्वेषतावंश यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाते हुए आवंटन आदेश यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश की छायाप्रति जो संलग्न पत्रावली है के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट जाहीर होता है कि विपक्षी को भूमि का आवंटन विधिवत एडवाईजरी कमेटी की सिफारीश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया हैं। विपक्षी द्वारा अपने आवेदन पत्र में कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं। दिनांक 02.08.03 को किये गये आवंटन को 14 वर्ष पश्चात् निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा भी बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहकर प्रार्थना पत्र को साबित नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से खारीज किया जाता हैं। विपक्षी को किया गया आवंटन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर